भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 144

दिनांक 24.02.2015/5 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

नक्सल गतिविधियां

†144. श्री राजेश रंजन :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्रीमती रंजीत रंजन :
श्री राकेश सिंह :
श्री एम०के० राघवन
श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन :
योगी आदित्यनाथ :
श्री ई०टी० मोहम्मद बशीर :
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :
प्रो० रविन्द्र विश्वनाथ गॉयकवाड़ :
श्री टी०जी० वेंकटेश बाबू :
श्री पी०सी० मोहन :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री सी०एस० पुट्टा राजू:
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्रीमती नीलम सोनकर :
श्री पी०आर० सुन्दरम :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माओवादी केरल सहित देश के नए क्षेत्रों में अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष औरचालू वर्ष के दौरान कितने नक्सली हिंसा के मामले सूचित हुए, कितने नागरिक और सुरक्षा कर्मी मारे गए/घायल हुए और कितनी संपत्ति नष्ट हुई तथा कितने नक्सली गिरफ्तार हुए/मारे गए;
(ग) उक्त अवधि के दौरान नक्सिलवाद की समस्या से निपटने के लिए नक्सल प्रभावित राज्यों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता और अन्य सहयोग दिया गया है;

(घ) नक्सलवादियों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए अपनाई गई नीति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान समर्पण करने वाले नक्सलवादियों की संख्या कितनी है; और
(ड.) देश में नक्सल हिंसा को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)
(क) और (ख): ऐसी रिपो र्टें ध्यान में नहीं आई है, जिनसे यह सिद्ध होता हो कि माओवादी देश के नए क्षेत्रों

में अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। तथापि, अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, वे अनेक गतिविधियों में शामिल होकर नए क्षेत्र बनाने का प्रयास करते हैं। जहां तक केरल का संबंध है, सीपीआई (माओवादी) दक्षिण भारत, विशेष रुप से तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के त्रि-संगम पर अपना प्रभाव फैलाने का प्रयास कर रहा है।

वर्ष 2012 से 2015 (15 फरवरी तक) की अवधि में मारे गए सिविलियनों और सुरक्षा बल कर्मियों, गिरफ्तार किए गए और मारे गए नक्सलियों के राज्यवार ब्यौरे अनुलग्नक-। में संलग्न हैं। घायल सिविलियनों और सुरक्षा बल कर्मियों तथा क्षतिग्रस्त सम्पत्ति संबंधित आंकड़ें को केन्द्रीय रुप से नहीं रखे जाते हैं।

(ग): वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में कार्यान्व त मुख्य योजनाएं निम्नानुसार हैं:

(i) सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना
(ii) विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस)
(iii) मजबूत पुलिस स्टेशनों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण योजना
(iv) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विद्रोह-रोधी और आतंकवाद-रोधी स्कूलों (सीआईएटी) की स्थापना।
(v) वामपंथी उग्रवाद वाले जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) (जिसे पहले एकीकृत कार्य योजना कहा जाता था)
(vi) सड़क आवश्यकता योजना (आरआरपी-। और आरआरपी-।।)

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे अनुलग्नक-।। से अनुलग्नक-VII में उपलब्ध हैं।

(घ): वामपंथी उग्रवादियों को मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य सरकारों की अपनी समर्पण एवं पुनर्वास नीतियां हैं। केन्द्र सरकार इस संबंध में अपनी स्वयं की नीति के संदर्भ में आत्म-समर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों के पुनर्वास पर राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करती है। भारत सरकार ने "प्रभावित राज्यों के वामपंथी उग्रवादियों के आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास योजना " के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो दिनांक 01.04.2013 से प्रभावी है। अन्य बातों के साथ-साथ संशोधित नीति में पुनर्वास पैकेज में आत्मसमर्पण करने वाले उच्च स्तर के एलडब्ल्यूई कैडरों के लिए 2.5 लाख रु. और मध्यम/निचले स्तर के एलडब्ल्यूई कैडरों के लिए 1.5 लाख रु. का तत्काल अनुदान शामिल है, जिसे सावधि-जमा के रुप में उनके नाम से रखा जाएगा और जिसे उनके अच्छे व्यवहार के अध्यधीन 3 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात निकाला जा सकता है। उन्हें उनकी पसंद के व्यापार/व्यवसाय में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और तीन वर्षों के लिए 4000/-रु. के मासिक वजीफे का भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, योजना के अंतर्गत हथियार/गोलाबारुद सौंपने के लिए प्रोत्साहन भी उपलब्ध हैं। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के राज्य-वार ब्यौरे अनुलग्नक-VIII में दिए गए हैं।

(ड.) वामपंथी उग्रवाद के विद्रोह से निपटने के लिए केन्द्र सरकार चार प्रकार की रणनीति अपनाती है – सुरक्षा संबंधी उपाय; विकास संबंधी उपाय; स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करना

तथा जन-अवधारणा प्रबंधन, जिनमें व्यापक श्रेणी की योजनाओं और उपायों के अतिरिक्त यह राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सम्पूरित करती है।

सुरक्षा संबंधी उपायों में, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) को सीधे तैनात करने के अलावा भारत सरकार सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, विशेष अवसंरचना योजना, सुरक्षित पुलिस थानों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण की योजना आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्यों के क्षमता-निर्माण में सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, अन्य सुरक्षा संबंधी उपायों में राज्यों को हेलीकॉप्टर मुहैया कराना, विद्रोह-रोधी एवं आतंकवादी रोधी विद्यालयों की स्थपाना, इंडिया रिजर्व बटालियनों के गठन हेतु सहायता प्रदान करना, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत राज्य पुलिस तथा उनके आसूचना तंत्र का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना शामिल है।

विकास के मोर्चे पर, केन्द्र सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए सी ए) योजना (पुरानी एकीकृत कार्रवाई योजना के स्थान पर) और सड़क आवश्यकता योजना-। (आर आर पी-।) आदि जैसी विशेष योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

स्थानीय समुदायों के अधिकार एवं हकदारियों को सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्र सरकार ने जंगल में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों, जो पीढ़ियों से इन जंगलों में निवास कर रही हैं, लेकिन जिनके अधिकारों को रिकार्डबद्ध नहीं किया जा सका है, को मान्यता प्रदान करने और उन्हें वनभूमि में वन-अधिकारों और व्यवसाय से समृद्ध करने हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का अधिनियमन किया है। इनके नियम दिनांक 01.01.2008 को अधिसूचित किए गए थे और इनका बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 06.09.2012 को इनमें और संशोधन किए गए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भी इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों के बारे में दिनांक 12.07.2012 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

जन अवधारणा प्रबंधन के अंतर्गत, केन्द्र सरकार मीडिया के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सरकार के अभिमत की जानकारी देने के लिए मीडिया योजना कार्यान्वित कर रही है।

सरकार का यह मानना है कि संतुलित पुलिस कार्रवाई, संकेन्द्रित विकास संबंधी प्रयत्न और शासन में सुधार के संयोजन से दीर्घावधि में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित विद्रोह का प्रभावकारी रुप से मुकाबला किया जा सकता है।

वर्ष 2012 से 2015 (15 फरवरी तक) की अवधि में वामपंथी हिंसा की घटनाओं, मारे गए सिविलियनों, मारे गए सुरक्षा बल कर्मियों, मारे गए नक्सलियों और गिरफ्तार किए गए नक्सलियों के राज्य-वार ब्यौरे

राज्य	2012					2013				
	घटनाएं	मारे गए नागरिक	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए नक्सली	गिरफ्तार नक्सली	घटनाएं	मारे गए नागरिक	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए नक्सली	गिरफ्तार नक्सली
आन्ध्र प्रदेश	67	12	1	3	312	28	7	0	1	64
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
असम	3	0	0	4	18	0	0	0	0	16
बिहार	166	34	10	5	426	177	42	27	0	312
छत्तीसगढ़	370	63	46	38	404	355	67	44	38	387
दिल्ली	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
झारखण्ड	480	134	29	7	384	387	122	30	12	332
कर्नाटक	5	0	0	1	2	4	0	0	0	0
केरल	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	11	0	0	1	2	1	0	0	0	2
महाराष्ट्र	134	27	14	4	78	71	13	6	26	38
ओडिशा	171	31	14	10	187	101	28	7	23	129
पंजाब	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
तमिलनाडु	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
तेलंगाना	0	0	0	0	0	8	3	1	0	88
उत्तर प्रदेश	2	0	0	0	6	0	0	0	0	4
पश्चिम बंगाल	6	0	0	1	76	1	0	0	0	21
कुल	**1415**	**301**	**114**	**74**	**1901**	**1136**	**282**	**115**	**100**	**1397**

राज्य	2014					2015 (15 फरवरी तक)				
	घटनाएं	मारे गए नागरिक	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए नक्सली	गिरफ्तार नक्सली	घटनाएं	मारे गए नागरिक	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए नक्सली	गिरफ्तार नक्सली
आन्ध्र प्रदेश	18	4	0	3	66	5	0	0	0	14
असम	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
बिहार	163	26	6	1	383	14	0	0	0	37
छत्तीसगढ़	328	52	59	35	687	113	10	6	2	27
झारखण्ड	384	94	9	8	396	39	11	2	4	34
केरल	8	0	0	0	2	3	0	0	0	3
मध्य प्रदेश	3	0	0	0	11	0	0	0	0	2
महाराष्ट्र	70	16	12	10	18	8	2	0	0	4
ओडिशा	103	26	0	6	82	14	4	0	0	9
तेलंगाना a	14	4	1	0	32	1	0	0	0	5
उत्तराखण्ड	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
कुल	**1091**	**222**	**87**	**63**	**1696**	**197**	**27**	**8**	**6**	**135**

लो०स०अता०प्र०सं०-144

अनुलग्नक-II

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान (दिनांक 19.02.2015 की स्थिति के अनुसार) एसआरई योजना के अंतर्गत जारी निधियों के राज्यवार ब्यौरे

(लाख रूपए में)

राज्य	**जारी निधियां**			
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 **(दिनांक** 19.02.2015 **की स्थिति के अनुसार**
आन्ध्र प्रदेश	1072.77	1512.82	1798.02	1202.21
बिहार	1364.91	786.83	1710.89	1898.79
छत्तीसगढ़	4237.08	5074.01	4214.41	4179.51
झारखण्ड	7535.95	6754.94	4778.74	4801.23
मध्य प्रदेश	27.50	65.05	55.75	140.07
महाराष्ट्र	762.91	460.44	738.51	1758.21
ओडिशा	2156.62	1531.34	4813.30	4624.69
तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	509.56
उत्तर प्रदेश	200.01	550.11	533.28	316.02
पश्चिम बंगाल	1390.68	1330.70	2065.10	1277.71
कुल	18748.43	18066.24	20708.00	20708.00

लो०स०अता०प्र०सं०-144

अनुलग्नक-III

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एसआईएस के अंतर्गत जारी निधियों के राज्यवार ब्यौरे

(लाख रूपए में)

राज्य	**जारी निधियां** 2011-12	**जारी निधियां** 2012-13	**जारी निधियां** 2013-14	**जारी निधियां** 2014-15 (**दिनांक** 16.02.2015 **की स्थिति के अनुसार**)
आन्ध्र प्रदेश	2377.16	**शून्य**	999.00	700.00
बिहार	3465.71	**शून्य**	1505.70	404.29
छत्तीसगढ़	3040.53	**शून्य**	1634.09	1655.47
झारखण्ड	3561.35	**शून्य**	1652.33	-
मध्य प्रदेश	747.73	**शून्य**	-	-
महाराष्ट्र	434.25	**शून्य**	-	-
ओडिशा	4047.27	**शून्य**	1622.25	1740.24
तेलंगाना	-	**शून्य**	-	300.00
उत्तर प्रदेश	440.84	**शून्य**	-	-
पश्चिम बंगाल	467.17	**शून्य**	-	-
कुल	18582.01	**शून्य**	7413.37	4800.00

लो०स०अता०प्र०सं०-144

अनुलग्नक-IV

'मजबूत पुलिस स्टेशनों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण' योजना के अंतर्गत जारी निधियों के राज्य-वार ब्यौरे

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	**राज्य**	**जारी निधियां (केन्द्र का अंशदान)**			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (20.02.2015 **की स्थिति के अनुसार**)
1.	**आन्ध्र प्रदेश**	8.00	-	-	14.40
2.	**तेलंगाना**	12.00	-	-	21.60
3.	**बिहार**	44.75	51.625	26.425	-
4.	**छत्तीसगढ़**	39.25	-	33.95	-
5.	झारखण्ड	39.25	39.375	16.875	19.40
6.	मध्य प्रदेश	5.60	6.30	6.30	-
7.	महाराष्ट्र	5.50	-	-	10.50
8.	ओडिशा	37.50	43.25	30.25	-
9.	उत्तर प्रदेश	8.25	-	-	12.55
10.	पश्चिम बंगाल	9.90	9.45	5.85	-
	कुल	210.00	150.00	119.65	78.45

लो०स०अता०प्र०सं०-144

अनुलग्नक-V

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीआईएटी स्कूलों को जारी निधियों के राज्यवार ब्यौरे

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	राज्य	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (दिनांक 12-12-2014 की स्थिति के अनुसार)
1	बिहार	1.90	-	-	-
2	छत्तीसगढ़	3.13	शून्य	2.00	-
3	झारखण्ड	0.71		2.00	1.72
4	ओडिशा	2.27		2.00	1.31
5	पश्चिम बंगाल	-		-	-
6	महाराष्ट्र	-		1.50	-
7	आन्ध्र प्रदेश	-		-	-
8	तेलंगाना	-		-	-
	कुल	8.01		7.50	3.03

लो०स०अता०प्र०सं०-144

अनुलग्नक-VI

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए एसीए (पूर्व में आईएपी) के तहत जारी निधियों के राज्यवार ब्यौरे

(करोड़ रूपए में)

राज्य	जारी निधियां	जारी निधियां	जारी निधियां	जारी निधियां
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (दिनांक 16.02.2015 की स्थिति के अनुसार)
आन्ध्र प्रदेश	240.00	210.00	117.10	80.00
बिहार	270.00	190.00	158.38	220.00
छत्तीसगढ़	300.00	300.00	238.38	280.00
झारखण्ड	510.00	510.00	184.19	340.00
मध्य प्रदेश	240.00	300.00	148.38	200.00
महाराष्ट्र	60.00	50.00	50.00	80.00
ओडिशा	540.00	540.00	222.57	360.00
तेलंगाना	-	-	-	80.00
उत्तर प्रदेश	90.00	60.00	60.00	60.00
पश्चिम बंगाल	90.00	90.00	30.00	60.00
कुल	2340.00	2250.00	1209.00	1760.00

लो०स०अता०प्र०सं०-144

अनुलग्नक-VII

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किए गए व्यय के ब्यौरे

राज्य	व्यय (करोड़ रूपए में)			
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (दिनांक 31.12.2014 तक)
आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	289.00	243.00	165.00	63.00
बिहार	205.00	100.00	36.00	13.00
छत्तीसगढ़	265.00	265.00	146.00	93.00
झारखण्ड	110.00	224.00	188.00	68.00
मध्य प्रदेश	29.00	24.00	25.00	19.00
महाराष्ट्र	105.00	62.00	145.00	53.00
ओडिशा	148.00	130.00	160.00	84.00
उत्तर प्रदेश	16.00	3.00	7.00	0.00
कुल	1167.00	1051.00	872.00	393.00

लो०स०अता०प्र०सं०-144

अनुलग्नक-VIII

वर्ष 2012 से 2015 (15 फरवरी तक) के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के राज्यवार ब्यौरे

राज्य	2012	2013	2014	2015 (15 फरवरी तक)
आन्ध्र प्रदेश	301	64	78	25
असम	0	1	0	0
बिहार	42	3	4	0
छत्तीसगढ़	26	28	413	33
झारखण्ड	6	15	19	5
महाराष्ट्र	10	53	43	0
ओडिशा	34	100	100	16
तेलंगाना	0	18	16	4
पश्चिम बंगाल	26	0	3	0
कुल	445	282	676	83